न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाशचन्द मीना RAS

प्रकरण संख्याः— 35 / 2011 दायर दिनांक :— 08.02.2011

1. कन्नी पत्नी लाला (पुत्री दला) मीणा निवासी ढीकणीयाखेडा तहसील— बडी सादडी।
2. पैमा पत्नी वाला (पुत्री दला) मीणा निवासी उमरावेला पंचायत लूणदा तहसील— वल्लभनगर।
3. गंगा पत्नी (पुत्री दला) मीणा निवासी मरावदीया, तहसील बडी सादडी।
4. गौतमी पत्नी (पुत्री दला) मीणा निवासी मउडावेला तहसील लसाडिया।

—:वादीगण

—: बनाम :—

1. रूपा पिता अमरा मीणा निवासी मालों का ओडा, लकुकालेवा, तह—लसाडिया।
2. नौजकी पत्नी केशा (पुत्री दला) मीणा निवासी कन्देला तह—लसाडिया।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया, जिला— उदयपुर।

—:प्रतिवादीगण

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन

अंतर्गत आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88, 53

निर्णय दिनांक :—03.02.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालों का ओडा, प.ह. लकुकालेवा, तहसील लसाडिया में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 7, 11, 21, 23, 24, 195, 211, 215 / 1, 215 / 2, 278, 286, 301 कुल किता 12 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होकर वादग्रस्त आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में रूपा पिता दल्ला दर्ज है जबकि वह प्रतिवादीगणों के चाचा अमरा का लडका होकर प्रतिवादीगणों का चचेरा भाई है। परिवाद का मुख्य पुरूष तौला था जिसके नाम पर वादग्रस्त आराजी के अलावा 37 बीघा जमीन और थी। जो तौला व तौला के पुत्र गांगा के फौत हो जाने के बाद 17 बीघा देवा को, 17 बीघा अमरा को एवं 19 बीघा दल्ला को मिली व खाते हो गई। इन तीनों के फौत हो जाने के बाद देवा की आराजी नारू को व नारू से रता को मिली, अमरा की आराजी मेगा पदमा रूपा (प्रतिवादी संख्या 01) पिता अमरा को मिली एवं दल्ला के कोई लडका नहीं होकर पुत्रियां (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02) थी जिनके नाम दल्ला की आराजी दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु वह अमरा के पुत्र रूपा के नाम दर्ज हो गई। अतः वादीगण द्वारा मृतक खातेदार दल्ला का वारिस खातेदार घोषित किया जाने एवं विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावा जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामील के अपना जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 31.03.2010 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक नियत की। दिनांक 07.04.2011 को अधिवक्ता वादी द्वारा तामील सही नहीं बतायी जाकर पुनः तामील जारी करवायी। जिससे दिनांक 18.05.2011 को अधिवक्ता आशीष शर्मा उपस्थित हो जवाब हेतु समय चाहा गया। दिनांक 12.02.2016 तक भी कोई जवाब पेश नहीं होने से पुनः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर साक्ष्य वादी हेतु दिनांक नियत की गई। साक्ष्य वादी में वादीगण द्वारा पैमा पत्नी वाला (पुत्री दला) मीणा निवासी उमरावेला पंचायत लूणदा तहसील–वल्लभनगर, गंगा पत्नी (पुत्री दला) मीणा निवासी मरावदीया, तहसील बडी सादडी, रता पिता देवा मीणा निवासी मालों का ओडा तहसील लसाडिया शपथपत्र वाद अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। साक्ष्य में ग्राम मालों का ओडा जमाबन्दी खाता संख्या 66 संवत् 2056–2059 प्रदर्श संख्या 01 प्रस्तुत किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर मनन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य ग्राम मालों का ओडा जमाबन्दी खाता संख्या 66 संवत् 2056–2059 में भूमि रूपा पिता दल्ला मीणा साकिन देह के नाम दर्ज है। मौके पर कब्जे बाबत् कोई रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसा कोई साक्ष्य इस पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों नाम पर उनकी पैत्रिक सम्पत्ति थी। मात्र मौखिक साक्ष्य और शपथ–पत्र के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतः दावा वादीगण अस्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी की जावे। ।

आज दिनांक 03.02.2017 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(के.सी.मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–उदयपुर (राज.)

Web Copy - Not Official